# NEW OTT CONSULTATION PAPER

*The New OTT paper floated should address the concerns of all the stakeholders.*

The Telecom Regulatory Authority of India is planning to bring out a consultation paper for matters related to OTT players, says a media report.

TRAI mooted the idea of I&B Ministry overseeing the content regulation and the Electronics & Information Technology Minstry handling the carriage part.

TRAI is also planning to discuss price parity between OTT video platforms and distribution channels like cable TV and DTH services. Live content on OTT can be brought under rules similar to the broadcasting sector.

In July this year, TRAI released a consultation paper on the regulatory mechanism for OTT communication services, and the selective banning of OTT services.

The major takeaways of the paper include exploration of themes such as the need for selective banning of OTT communication apps, such as Meta-owned WhatsApp, Telegram and Google Meet, as well as lawful interception of messages by authorities.

The paper has raised questions like if there is a need for a collaborative framework between OTT communication apps and licensed telecommunication service providers, as well as sought clarity on the potential challenges that can arise out of such a framework and its impact on net neutrality, consumer access and consumer choice.

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has extended the last date for receiving written comments on the issues raised in the Consultation Paper on 'Regulatory Mechanism for Over The Top (OTT) Communication Services, and Selective Banning of OTT Services to September 29, 2023. ■

# ओटीटी के लिए नया परामर्श पत्र

***हाल में जारी किये गये नये ओटीटी परामर्श पत्र को सभी हितधारकों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए।***

एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ओटीटी कंपनियों से संबंधित मामलों के लिए एक परामर्श पत्र लाने की योजना बना रहा है।

ट्राई ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय को सामग्री विनियमन की देखरेख करने और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कैरिज हिस्से को संभालने का विचार दिया।

ट्राई ओटीटी वीडियो प्लेटफॉर्म और केबल टीवी व डीटीएच सेवाओं जैसे वितरण चैनलों के बीच मूल्य समानता पर भी चर्चा करने की योजना बना रहा है। ओटीटी पर लाइव कंटेंट को प्रसारण क्षेत्र के समान नियमों के तहत लाया जा सकता है।

इस साल जुलाई में ट्राई ने ओटीटी संचार सेवाओं के लिए नियामक तंत्र और आटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

पत्र के प्रमुख निष्कर्षों में मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप, टेलीग्राम और गूगल मीट जैसे ओटीटी संचार एप्स पर चयनात्मक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा संदेशों के वैध अवरोधन जैसे विषयों की खोज शामिल है।

पेपर में सवाल उठाये गये हैं कि क्या ओटीटी ऐप्स और लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच एक सहयोगी ढ़ांचे की आवश्यकता है, साथ ही इस तरह के ढ़ांचे से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों और नेट तटस्थता, उपभोक्ता पहुंच और उपभोक्ता पसंद पर इसके प्रभाव पर स्पष्टता मांगी गयी।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए नियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध विषय पर परामर्श पत्र में उठाये गये मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि **29** सितंबर **2023** तक बढ़ा दी है। ■